



दिनांक 23.07.2022

प्रेस विज्ञप्ति 23/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना मोहाना

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की घटना का अनावरण
- लूट के 50 हजार 500 रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
- 03 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद

दिनांक 23.07.2022 को थाना मोहाना व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ककरहवा से कपिलवस्तु जाने वाले तिराहे से 03 अभियुक्तों 1-संदेश कुमार उर्फ बल्लू 2-हीरालाल उर्फ धीरज 3-अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार 500 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.07.2022 को थाना मोहाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोहाना पर मु0अ0सं0-156/2022 धारा 394 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद सिद्धार्थनगर के थाना महोना पर लूट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मोहाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-संदेश कुमार उर्फ बब्लू निवासी टोला तिलकपुर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

2-हीरालाल उर्फ धीरज निवासी सिरवतडीह थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

3-अनिल कुमार निवासी बर्डपुर नं0-09 टोला तिलकपुर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1-लूट के 50 हजार 500 रूपये नगद।

2-घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3-03 मोबाइल फोन।

4-01 अवैध तमंचा मय कारतूस।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

● पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● लूट की 01 मोटर साइकिल

● 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 22.07.2022 को थाना झिंझाना व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम अगडीपुर रजवाहा पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1-जितेन्द्र 2-राजन 3-प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 27.06.2022 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर

मु0अ0सं0-281/2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, शामली के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-जितेन्द्र निवासी ग्राम धौलरी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-राजन निवासी ग्राम धौलरी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-प्रदीप निवासी नुमाईश कैम्प सेतिया विहार, थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

- 1-लूट की 01 मोटर साइकिल(फर्जी नम्बर प्लेट)।
- 2-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना गोवर्धन

- पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की 01 बुलेट मोटर साइकिल

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 23.07.2022 को थाना गोवर्धन व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महमदपुर चौराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मन्सो उर्फ मनसुख घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 बुलेट मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा

315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मथुरा, राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 23 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोवर्धन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मन्सो उर्फ मनसुख निवासी जाटौली थाना चिकसाना जनपद भरतपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1—चोरी की 01 बुलेट मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कौंट

- 07 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 24 चाँदी के सिक्के (प्राचीन)
- चोरी के 18 ताँबे के सिक्के (प्राचीन), 71 विभिन्न देशों के सिक्के
- चोरी के चाँदी के आभूषण/सामान आदि
- 06 मोबाइल फोन
- 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर आदि

बरामद

दिनांक 23.07.2022 को थाना कौंट व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रावतपुर नक्खासा के पास से 07 अभियुक्तों 1—महानन्दन

2—दानवीर 3—धर्मेन्द्र उर्फ रजनीश 4—राजेश उर्फ मंगूलाल 5—प्रवीण उर्फ मजनू
6—आनन्द उर्फ यानेन्द्र 7—धर्मवीर उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार
अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 24 चाँदी के सिक्के (प्राचीन), 18 ताबे के
सिक्के (प्राचीन), 71 विभिन्न देशों के सिक्के, चाँदी की 01 कटोरी, चाँदी की 01 प्लेट,
01 जोड़ी पायल, चाँदी के चम्मच, 06 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04
जीवित कारतूस विभिन्न बोर आदि बरामद हुए ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें
अभियुक्त धर्मवीर उर्फ कल्लू के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, हरदोई के विभिन्न थानों पर
डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त
दानवीर के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, हरदोई आदि के विभिन्न थानों पर डकैती, चोरी,
आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी अभियुक्तों से
बरामद सिक्के चाँदी/ताबे के , चाँदी के आभूषण/सामान आदि चोरी की घटनाओं से
सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कॉट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा
रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—महानन्दन निवासी ग्राम रफातपुर थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ।
- 2—दानवीर निवासी ग्राम परसोना खलीलपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
- 3—धर्मेन्द्र उर्फ रजनीश निवासी धीयर मौलिया रेलवेगंज थाना कोतवाली जनपद हरदोई।
- 4—राजेश उर्फ मंगूलाल निवासी रहीमापुर मजरा माहेद्दीनपुर थाना पसगवा जनपद
लखीमपुर खीरी।
- 5—प्रवीण उर्फ मजनू निवासी मबेईया थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई।
- 6—आनन्द उर्फ यानेन्द्र निवासी फहजुल्लागंज थाना मडियॉव, लखनऊ।
- 7—धर्मवीर उर्फ कल्लू निवासी महमद जलालनगर थाना सदर बाजार जनपद
शाहजहाँपुर।

बरामदगी

- 1—चोरी के 24 चॉदी के सिक्के(प्राचीन)।
- 2—चोरी के 18 ताबे के सिक्के(प्राचीन)।
- 3—चोरी के 71 विभिन्न देशों के सिक्के।
- 4—चोरी के चॉदी के आभूषण/सामान।
- 5—06 मोबाइल फोन।
- 6—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना मुबारकपुर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 23.07.2022 को थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुजर पार पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—289/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मनोज उर्फ मोनू निवासी ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना गंगाघाट

- 15-15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 23.07.2022 को थाना गंगाघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना गंगाघाट क्षेत्र से चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1-चीनू उर्फ सूरज 2-दुर्गेश उर्फ जीवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्के के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त चीनू उर्फ सूरज के विरुद्ध जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त दुर्गेश उर्फ जीवा के विरुद्ध जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंगाघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-269/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15-15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित थे।

इस सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-चीनू उर्फ सूरज निवासी आजादनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

2-दुर्गेश उर्फ जीवा निवासी आजादनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना जसराना

- 04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार
- चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 22.07.2022 की रात्रि को थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला शीशपुरी से चेकिंग के दौरान 04 शातिर वाहन चोर 1-समीर 2-रफीक 3-अंशुल 4-सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जो जनपद फिरोजाबाद के भिन्न भिन्न स्थानों से वाहनों की चोरी करके ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों के बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जसराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-समीर निवासी मोहल्ला शीशपुरी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
- 2-रफीक निवासी मोहल्ला शीशपुरी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
- 3-अंशुल निवासी मोहल्ला शीशपुरी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
- 4-सोनू निवासी मोहल्ला शीशपुरी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1-चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर

- 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 02 करोड रूपये (अन्तराष्ट्रीय)कीमत की 02 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद

दिनांक 22/23.07.2022 की रात्रि को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनखण्डी पुलिया चौराहे से फरीदपुर की तरफ रोड पर 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—मुनीश 2—निजाकत अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड रूपये (अन्तराष्ट्रीय) कीमत की 02 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मुनीश निवासी ग्राम सींगापुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 2—निजाकत अली निवासी ग्राम गौतरा थाना उसावा जनपद बदायूं।

बरामदगी

- 1—लगभग 02 करोड रूपये (अन्तराष्ट्रीय) कीमत की 02 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम।

जनपद औरैया/थाना कोतवाली

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- 29 हजार 310 रूपये नगद
- विभिन्न बैंको के 12 एटीएम कार्ड, 03 मोबाइल फोन
- घटनाओं में प्रयुक्त वैगनआर कार बरामद

दिनांक 23.07.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दयालपुर ओवर ब्रिज के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों

1—बीपी सिंह 2—गोलू 3—मंगल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 29 हजार 310 रुपये नगद, विभिन्न बैंको के 12 एटीएम कार्ड, 03 मोबाइल फोन, घटनाओं में प्रयुक्त वैगनआर कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भिन्न भिन्न स्थानों में लगे एटीएम मशीन के पास रैकी कर एटीएम के बारे में कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की मदद के बहाने उनका पिन कोड देखकर एवं एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी कर पैसा निकाल लेते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—बीपी सिंह निवासी हसनपुर थाना कुठौंद जनपद जालौन।
- 2—गोलू निवासी तौलकपुर थाना कुठौंद जनपद जालौन।
- 3—मंगल निवासी मघापुर मडैया थाना सिरसाकलार जनपद जालौन।

बरामदगी

- 1—29 हजार 310 रुपये नगद।
- 2—विभिन्न बैंको के 12 एटीएम कार्ड।
- 3—03 मोबाइल फोन।
- 4—घटनाओं में प्रयुक्त 01 वैगनआर कार।

जनपद मीरजापुर/थाना चुनार

- 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 11 लाख रुपये कीमत के 105 ग्राम अवैध हेरोइन
- माल ब्रिकी के 51 हजार रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक 23.07.2022 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेढ़िया तिराहा के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—अमित कुमार 2—विकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख

रूपये कीमत के 105 ग्राम अवैध हेरोइन, माल ब्रिकी के 51 हजार रूपये नगद, 01 मिनी वैंट मशीन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अमित कुमार निवासी सराय टेकौर थाना चुनार जनपद मीरजापुर।
- 2-विकाश कुमार निवासी सराय टेकौर थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

- 1-लगभग 11 लाख रूपये कीमत के 105 ग्राम अवैध हेरोइन (मादक पदार्थ)।
- 2-माल ब्रिकी के 51 हजार रूपये नगद।
- 3- 01 मिनी वैंट मशीन।

एसटीएफ: अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.48 कुन्तल गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 23-07-2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.48 कुन्तल गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1- संजय सिंह पुत्र स्व0 राम बहादुर सिंह, नि0 ग्राम जलालपुर, थाना लोनी कटरा, जनपद-बाराबंकी।

कुल बरामदगी:-

- 1- 04.48 कुन्तल गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़)
- 2- 01 अदद टैकर नं0 यूपी 43 एटी 4989
- 3- रू0 1,000/-नगद।
- 4- 01 अदद आधार कार्ड।

- 5- 01 अदद एटीएम कार्ड।
- 6- 01 अदद इण्डियन आयल कार्ड।
- 7- 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।
- 8- 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

अंकित ढाबा ग्राम दरियापुर, रायबरेली-प्रयागराज रोड, थाना क्षेत्र भदोखर, रायबरेली दिनांक 23-07-2022 समय लगभग 08.30 बजे प्रातः।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। जिसके सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ 30प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 की एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के रायबरेली व आस-पास के जनपदों में बेचा जा रहा है। इसी क्रम में आरक्षी कौशलेन्द्र सिंह द्वारा विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त की गयी, कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लाकर जनपद रायबरेली में अजय सिंह को दिया जाना है।

इस सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक श्री दिलीप तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 संतोष सिंह, आरक्षी कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, विजय वर्मा की एक टीम जनपद रायबरेली रवाना की गयी। एसटीएफ टीम द्वारा रायबरेली पहुंचकर जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन किया गया, जिस पर ज्ञात हुआ कि संजय सिंह नाम का एक तस्कर टैकर नं0 यूपी 43 एटी 4989 में गॉजा लेकर प्रयागराज होते हुए रायबरेली जायेगा। इस पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस व एनसीबी लखनऊ को साथ लेकर अंकित ढाबा ग्राम दरियापुर, रायबरेली-प्रयागराज रोड, थाना क्षेत्र भदोखर, रायबरेली के पास उक्त टैकर को कब्जे में लेकर देखा गया तो उसमें गॉजा छिपाकर रखा गया था। जिस पर उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों का अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने का एक गिरोह है। करीब 5-6 महीने पूर्व से प्रतापगढ़ निवासी

मुन्ना सिंह (जो अब गोण्डा में रहते हैं) कि गाड़ी चला रहा हूँ उनसे मेरी मुलाकात रविन्द्र सिंह नि० रायबरेली दुसौती ने कराया था। रविन्द्र सिंह के माध्यम से ही मेरी मुलाकात अजय सिंह दुसौती से हुई थी। रविन्द्र के कहने पर ही अजय सिंह को गॉजा देता था। जो रायबरेली व आस-पास के जनपदों में फुटकर में इसकी सप्लाई करता है। अजय सिंह द्वारा मुझे एक चक्कर का रू० 25,000/- दिया जाता है। यह गॉजा उड़ीसा राज्य के भवानी पटना में काका नाम के व्यक्ति द्वारा गॉजा लोड कराया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध एनसीबी लखनऊ द्वारा केस नं० 21/2022 धारा 8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही एनसीबी लखनऊ द्वारा की जायेगी।
